

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-भरतपुर/एफ.00734/2024/132 दिनांक : 07-02-24

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री अशोक कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक, अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) सवाई माधोपुर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 18.08.2000 है, दिनांक 18.08.2018 को 18 वर्षिय एसीपी देय है, परन्तु 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान होने के कारण व परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण दिनांक 18.08.2022 से पे मेट्रिक्स के लेवल-10 में एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-भरतपुर/एफ.00734/2024/132 दिनांक : 07-02-24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-भरतपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर।
3. अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.)सवाई माधोपुर।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. श्री अशोक कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5363891

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation: Director
Date :30-01-2024 11:06:29